गोविन्दसिंह बनाम कनोड़मल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज 251 RTA प्रा0 पत्र क्र.नं. 69/2022
04.10.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 04/10/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
69 / 2022	2022 / 329	29.09.2022	04.10.2023

उनवान प्रकरण

1. गोविन्द सिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

–प्रार्थी–

बनाम्

1. कजोडमल पुत्र मांगुदास
2. कमली देवी पत्नी नानछा
3. कृष्ण कुमार पुत्र जगदीश
4. मत्री देवी पत्नी जगदीश
5. गोठी देवी पत्नी नानचा दास
6. प्रहलाद पुत्र नानचा दास
7. विनोद पुत्र नानचा दास
8. गोरूराम पुत्र श्योलदास
9. भंवर पुत्र श्योलदास

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:30 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

10. मूलादास पुत्र श्योलदास

11. रघुनाथ पुत्र श्योलदास

12. वतरदास पुत्र मोमादास

13. जयराम पुत्र मामूदास

14. नारायणी पत्नी उदादास

15. प्रभूदास पुत्र उदादास

16. मनभा पत्नी सावरदास

17. रेणु पुत्री जगदीश दास

18. सावरदास पुत्र उदादास

समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

19. कबूल सिंह पुत्र कानसिंह

20. जगमाल सिंह पुत्र कानसिंह

21. मेघसिंह पुत्र कानसिंह

22. रूघ सिंह पुत्र कानसिंह

23. सुजान कवर पत्नी कानसिंह

24. समन्दर सिंह पुत्र कानसिंह

25. मनोज सिंह पुत्र हरिसिंह

26. सज्जन सिंह पुत्र हरिसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्रा[illegible] श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:30 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—अप्रार्थीगण—

उपस्थित :—

श्री सरदार सिंह चौधरी, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 27 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

—:: निर्णय ::—

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज0 काश्त अधि0 खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तवॅरान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सावलपुरा तवॅरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के खसरा नम्बर 799 रकबा 0.02 है0 व अन्य खसरा नम्बरान में हिस्सा 1/14 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज होकर उक्त खातेदारी भूमि पर प्रार्थी कृषि कार्य कर अपने व अपने परिवार का जीवन यापन करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 799 के उत्तरी पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 844 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 18 के नाम एवं खसरा नम्बर 834, 813, 812, 809, 807, 804, 803 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 19 लगायत 26 के नाम दर्ज एव अंकित हैं। उक्त खसरा नम्बर की भूमि से प्रार्थी की भूमि से लगी हुई हैं। जिसके सहारे–सहारे से एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत [illegible] भूमि के आगे स्थित आम रास्ते से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि [illegible] नम्बर 799 के उत्तर से पश्चिम की ओर अजीतगढ [illegible] मुख्य सडक/आम रास्ता स्थित है। जिसका प्रार्थी एव प्रार्थी के पडौसी एवं सह–खातेदार काश्तकार उपयोग–उपभोग करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:30 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 18 की भूमि खसरा नम्बर 844 के पश्चिम दिशा मे आम रास्ता लगा हुआ है। जिसके पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 19 लगायत 26 की सह खातेदारी की भूमि के पश्चात् प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 799 स्थित है। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व मानचित्र मे है। परन्तु प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं आम रास्ते के भूमि के मध्य मे अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है तथा प्रार्थी उक्त रास्ते से अपने खेतो पर आता जाता रहा है और अपना कृषि कार्य करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 799 के उत्तरी पश्चिमी तरफ स्थित आम रास्ते से प्रार्थी के खेतो पर कृषि कार्यो एवं उपयोग हेतु आम रास्ते की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थी को अन्य कोई रास्ता अपने खेतो पर आने जाने का नही है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या NO 13(2) /REV 6/03P1/7 DAII 02 03 2012 द्वारा रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही होने पर नजदीकी रास्ते से अड़ता अन्य खातेदारान् की भूमि से रास्ता दिलवाये जाने का प्रावधान किया। चूंकि प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग एवं आवास हेतु तथा अपने रोजमर्रा के जीवनयापन के लिये उक्त रास्ते की प्रार्थी को अत्यन्त आवश्यकता है। दिनांक 29.09.2022 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया, जिस पर प्रार्थी ने कहा कि आप उक्त रास्ते को बंद मत करो वरना मेरा व मेरे परिवार का आना जाना बंद हो जायेगा। जिस पर अप्रार्थीगण ने कहा कि हम तुम्हें हमारी भूमि मे से आने जाने नही देंगे। जिस पर प्रार्थी ने काफी निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण नही माने। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित एवं संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शीत रास्ता को अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने के विधिक अधिकारी है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को दर्ज रजिस्टर [illegible] नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 [illegible] 27 की [illegible] रजिस्टर्ड डाक/अदमतामील होकर लौटी है। बावजूद र[illegible] उपस्थित नही आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 27 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] मे लाई गई। प्रकरण मे अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:30 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तथ्यों के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम संख्या 68-70 की अनुपालना करते हुए निर्धारित प्रपत्र मे जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2822 / राजस्व / 2023 दिनांक 07.08.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट मे अवगत कराया है कि प्रार्थी के अपने निजी आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 799 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता वर्तमान मे चालू नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगणो की निजी आराजीयात के लगता हुआ सबसे निकटतम हैं। उक्त प्रस्तावित रास्ते मे लगभग छोटे–बडे 10 पेड धोक के हैं। उक्त के अलावा अन्य कोई क्षति नही हैं। प्रार्थी के वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौके पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी पक्षकारान् ने प्रस्तावित रास्ते के संबंध में सहमति नहीं दी हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता ग्राम किशनपुरा के भूमि खसरा नम्बर 844 रकबा 0.37 हैक्टर गै0मु0 डूंगरी में से 12 फुट चौडाई अर्थात 4 मीटर चौडाई में कुल लम्बाई 28 मीटर अर्थात 28 X 4 मीटर = 112 वर्गमीटर क्षेत्रफल की मुताबिक डी0एल0सी0 दर के राशि 0.0112 X 270091 = 3025.01 रूपये एवं भूमि खसरा नम्बर 834 रकबा 2.33 हैक्टर किस्म गै0मु0 डूंगरी में से 4 मीटर चौडाई में लम्बाई 250 मीटर अर्थात 250 X 4 मीटर = 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल की मुताबिक डी0एल0सी0 दर के राशि 0.1000 X 270091 = 27009.10 रूपये एंव खसरा नम्बर 813 रकबा 0.27 हैक्टर किस्म बारानी–1 में से 4 मीटर चौडाई व लम्बाई 40 मीटर अर्थात 4 X 40 = 160 वर्गमीटर क्षैत्रफल की मुताबिक डी0एल0सी0 दर के राशि 0.0160 X 270091 = 4321.45 रूपये एंव खसरा नम्बर 812 रकबा [illegible] हैक्टर किस्म बंजड मे से 4 मीटर चौडाई व लम्बाई 28 मीटर अर्थात 4 X 28 = 1[illegible] वर्गमीटर क्षेत्रफल की मुताबिक डी0एल0सी0 दर के राशि 0.0112 X 270091 = 3025.01 रूपये एंव खसरा नम्बर 807 रकबा 0.33 हैक्टर किस्म बंजड मे से 4 मीटर चौडाई व 70 मीटर लम्बाई मे अर्थात 70

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

04/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

x 4 = 280 वर्गमीटर क्षेत्रफल की डी0एल0सी0 दर के राशि 0.0280 x 270091 = 7562.54 रूपये व खसरा नम्बर 804 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 4 मीटर चौड़ाई व लम्बाई 23 मीटर लम्बाई अर्थात 23 x 4 = 0.0092 हैक्टर क्षेत्रफल की मुताबिक डी0एल0सी0 दर के राशि 0.0092 x 270091 = 2484.83 रूपये व भूमि खसरा नम्बर 803 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म बंजड़ में से 4 मीटर चौड़ाई व 37 मीटर लम्बाई अर्थात 37 x 4 = 148 वर्गमीटर क्षेत्रफल की मुताबिक डी0एल0सी0 दर के राशि 0.0148 x 270091 = 3997.34 रूपये बनना पाई जाना तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भू. अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का सावलपुरा तंवरान की जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मुख्य सड़क से नहीं होने पर प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 844, 834, 813, 812, 809, 807, 804 व 803 में से चाहा गया रास्ता सबसे निकटतम होने तथा इससे कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने तथा केवल जाने के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने बाबत अवगत कराया है। मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सहमति के प्रयास किये गये परन्तु खातेदारान में सहमति नहीं है।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से जांच रिपोर्ट से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए उसी अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत एकपक्षीय ही बहस सुनी जाने का निवेदन वकील प्रार्थी के द्वारा किया गया है।

वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का सावलपुरा तंवरान, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका जाँच [illegible] प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, डी0 एल0 सी0 दरें [illegible] किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रार्थी [illegible] खेत भूमि खसरा नम्बर 799 में आवागमन हेतु चाहे गये भूमि खसरा नम्बर 844 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:30 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

18 के नाम एवं भूमि खसरा नम्बर 834, 813, 812, 809, 807, 804, 803 की खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 19 लगायत 26 के नाम अंकित होना रिकार्ड से प्रकट होता है। प्रार्थी अपने कृषि भूमि खसरा नम्बर 799 में कृषि कार्य हेतु भूमि खसरा नम्बर 844 834, 813, 812, 809, 807, 804, 803 में से आवागमन हेतु एकमात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता होकर उक्त रास्ता उत्तर पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे गैर मुमकीन रास्ते से जोड़ने वाला रास्ता आवागमन की दृष्टि से अत्यन्त लघुत्तम व निकटतम रास्ता होने से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि मे आवागमन हेतु चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में प्रस्तावित रास्ते के रूप में काम में आने वाले भूमि खसरा नम्बर 844, 834, 813, 812, 807, 804, 803 में 12 फुट अर्थात 4 मीटर चौडाई के रास्ते का वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों के हिसाब से विवरण निम्नानुसार है:–

खसरा नम्बर	प्रस्तावित रास्ते में काम में आने वाला रकबा वर्गमीटर में	बाजार दर (270091/– प्रति हैक्टर)
844	28 x 4 = 112	3025 रू
834	250 x 4 = 1000	27010 रू
813	40 x 4 = 160	4322 रू
812	28 x 4 = 112	3025 रू
807	70 x 4 = 280	7563 रू
804	23 x 4 = 92	2485 रू
803	37 x 4 = 148	3998 रू
कुल योग (वर्गमीटर व राशि)	1904	51428/–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:30 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एवं राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों / मशीनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थी ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता नहीं लिया जाकर वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया। जिसके तहत प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 12 फुट की चौड़ाई में वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर देने पर सहमति व्यक्त करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 12 फुट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतीत होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त ह्रास नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा मुख्य सड़क व मुख्य आबादी से निकटतम / लघुत्तम होने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा संलग्न नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि [illegible] प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से [illegible] प्रार्थी से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा ली जाने के उपरान्त [illegible] स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग में आने [illegible] की बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:30 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर द्वारा प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राजकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर० टी० एक्ट का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि वह ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 799 रकबा 0.0200 हैक्टर मे आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 844, 834, 813, 812, 809, 807, 804 व 803 में से 12 फुट चौडाई का चाहे गये रास्ते में उक्त भूमि खसरा नम्बर में से रास्ते के रूप में आने वाली भूमियों का वर्तमान बाजार दरों से मूल्यांकन राशि की गणना की जाकर उसकी दुगुनी मूल्यांकन राशि राजकोष में जमा ली जानी है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 844, 834, 813, 812, 809, 807, 804 व 803 में से 12 फुट चौडाई का रास्ता प्रार्थी को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित नजरी नक[illegible]शा ट्रेस एवं पर्चा रिपोर्ट में दर्शित 12 फुट चौडाई की भूमि [illegible] संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से [illegible] आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया [illegible]वे। चूंकि रास्ते में लगने वाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:30 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भूमियों बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थीगण को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार भूमि खसरा नम्बर 844, 834, 813, 812, 809, 807, 804 व 803 मे दिये जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित मूल्यांकन राशि का आंकलन कर आंकलित राशि प्रार्थी से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

04/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 04.1[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:30 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)